भारत सरकार Government of India

रेल मंत्रालय Ministry of Railways

रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 02 /2023

No.2023/ACI/6/2/SCT **New Delhi, Dated: 22/02/2023**

The PFAs,

1.CR/Mumbai.	2.ER/Kolkata.	3.ECR/Hajipur.
4.ECoR/Bhubaneswar.	5.NR/New Delhi.	6.NCR/Prayagraj.
7.NER/Gorakhpur.	8.NFR/Maligaon/Guwahati.	9.NWR/Jaipur.
10.SR/Chennai.	11.SCR/Secunderabad,	12.SER/Kolkata.
13.SECR/Bilaspur.	14.SWR/Hubli.	15.WR/Mumbai.
16.WCR/Jabalpur.	17.Metro/Kolkata.	18.CLW/Chittaranjan.
19.BLW/Varanasi.	20.PLW/Patiala.	21.ICF/Chennai.
22.RCF/Kapurthala.	23.MCF/Raebareli.	24.RE/Prayagraj.
25.RWF/Bangalore.	26.RWP/Bela.	27.COFMOW/New Delhi
28.MTP/Chennai.		

Sub:- Submission of Preliminary Account Current for and to end of March, 2023.

Controller General of Accounts, Ministry of Finance has since issued the schedule of submission of annual accounts of 2022-23. Accordingly, arrangements may please be made to ensure submission of Preliminary Account Current for March 2023 along with the all schedules and the statements, as per para 343 A-I, in a cover addressed to Shri Sanjeev Vig, SAO/AC-I, Room No.564 (Hall), Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi-110001 latest by **14.04.2023**.

2. The following details (a, b and c) should be advised simultaneously:-
 a. Gross Traffic Receipts by each head i.e. Passenger, Other Coaching, Goods, Sundry and Suspense (including Demands Recoverable)
 b. Working Expenses Gross, Credit and Net by each Grant; and
 c. Works Expenditure by Plan Heads and by each source of financing i.e. Capital, Capital Fund, DRF, DF, RSF, RRSK, EBR-BO, EBR-IF and EBR-Spl along with ANNEXURE A and details of Credit and Recoveries under each Plan Head.

3. In case, Final Closing statements of Reserve Bank of India, Nagpur for March, 2023 are not available in time, the Preliminary Account Current should be compiled

on the basis of the information available at RBI's website and that available with your office such as Debit Scrolls, Credit Scroll and Advices of Clearance issued by RBI, CAS, Nagpur for March, 2023 received at that stage and sent to Board's office in time. The changes of magnitude in the Preliminary Account found necessary on receipt of the aforesaid statements from the RBI, Nagpur should also be advised immediately on receipt.

4. The preliminary Accounts may be prepared in normal manner in which single account current is prepared. Adjustment transactions may be carried out and journalized on IPAS as per e-Recon schedule.

5. **Only one Correction slip shall be allowed by CGA to the preliminary account. The schedule for which will be advised separately.**

6. The following instructions may please be kept in view while compiling the Preliminary Account Current for March, 2023:-

(i) **Exhibition of Appropriation to DRF, Pension Fund**

The appropriation from revenue to 'DRF' and 'Pension Fund' should be shown as distinct items against the appropriate head in the Preliminary Account Current as per RE. Similarly, appropriation to 'Pension Fund' by charge against Miscellaneous Establishments and Audit and transfers from contributory Provident Fund to Pension Fund, if any, should also be shown distinctly against the appropriate head of Account.

(ii) **Cash Balance**

The closing cash balance as on 31.3.2023 to be adopted in the Preliminary Account Current for March, 2023 should be based on 'ACTUALS' cash balance which will be available on the railways/units by the time the Preliminary Account current and Actual Revenue/Capital Account Current for March, 2023 are compiled. **All Zonal Railways/Production Units should close their Cash Book by 5h April 2023. Railways may ensure 'Zero' Cash in Transit (CIT) before the closure of Cash Book.** Necessary arrangements may accordingly be made in consultation with Commercial Dte.

(iii) **Steps to be taken**

a. The Cash Book shall be closed by 5th April' 2023.
b. The Account Current will be submitted based on data available in IPAS for Zonal Railways and Production Units, on 12th April' 2023.
c. The stores monthly summary will be settled in Account Current by 5th April' 2023.
d. The adjustment/transfer transactions are to be settled within e-recon schedule given below. **However Maximum possible transfer transactions and JV preparation should be carried out daily instead of keeping a backlog for the last week.**

(iv) **E-Recon Schedule for March 2023 Preliminary Account:**

Events	End Date	End Time
Upload Cash Transactions	05-04-2023	16:00 hrs.
Generate Outward TC	05-04-2023	16:00 hrs
Send TC For Approval from Draft	05-04-2023	16:00 hrs.
Generation of Bulk Order TC by Railways	04-04-2023	16:00 hrs.
Approve Outward TC	05-04-2023	16:00 hrs.
Accept Inward TC	05-04-2023	19:00 hrs.
Distribute TC	05-04-2023	19:00 hrs
Return Inward TC	05-04-2023	19:00 hrs.
Send to Referee	05-04-2023	20:00 hrs.
Bulk Order TC by BO branch/RB and PAO/RB	07.04.2023	18.00 hrs.
Generate JV	08-04-2023	18:00 hrs.

Note 1: Decision of Bulk Order Branch, Railway Board for Bulk Order TCs shall be final and no reference should be made to referee against Bulk Order TC raised by Railway Board.

Note 2: No Inter Railway Transaction shall be allowed after above schedule.

(v) **The WGR and WMS transactions are to be compiled by 4th April' 2023 for their incorporation into Account Current.**

(vi) The data for earnings shall be taken as done currently for approximate account current. CRIS will generate the earnings matrix for Goods (Booked and Carried basis) by 4th April' 2023 and carried basis final on 5th April' 2023 for adjustment in March accounts.

(vii) The apportionment matrix for PRS and UTS will be made available by CRIS by 4th April' 2023.

(viii) The Balance Sheets are to be submitted as per provision in Chapter 27 of Indian Railways Code for Accounts Department Vol.II.

(ix) The Preliminary Account Current should be uploaded in IPAS by 12th April' 2023 by all Zonal Railways and Production Units.

(x) **CRIS will generate an Account Current for Railway Board by aggregating Zonal Railway and Production Units Account Currents on 12th April' 2023.**

(xi) Subsequent adjustment transaction in March/23 account will be carried out through one correction slip for which IPAS will enable upload of the adjustment JV at appropriate stages.

(xii) Further, Financial Review for preliminary March, 2023 (Capital and Revenue) may also be forwarded in IPAS on 12th April' 2023, without fail.

7. After uploading Preliminary Account Current for March, 2023 in IPAS module, the same with all schedule and statements in connection therewith should preferably be sent by speed post in the name of **Shri Sanjeev Vig, SAO/AC-I, Room No.564 (Hall), Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001**, to avoid delay in transit if the same are not sent through a special messenger.

Note: **Interest bearing funds (DRF, DF, CF, Pension Fund, and DSF) kept in Public Account will carry an interest at the rate of 3.35% per annum (provisional).**

Please acknowledged receipt and ensure compliance.

22/2/23

(Pratima Tripathi)
Director Finance (Accounts)
Railway Board

Copy to:-

1. Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Sections, Nagpur for information and necessary action.
2. Accounts-IV (BO) Section, Railway Board for information and necessary action.
3. Director General (Railway Board Audit), Railway Board, New Delhi-110001.
4. GM/Finance, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

आरबीए सं 02/2023

सं. 2023/एसीI/6/2/एससीटी

नई दिल्ली, दिनांक: 22/02/2023

प्रधान वित्त सलाहकार,

1. मरे/मुंबई	2. पूरे/कोलकाता	3. पूमरे/हाजीपुर
4. पूतरे/भुवनेश्वर	5. उरे/नई दिल्ली	6. उमरे/प्रयागराज
7. पूर्वोरे/गोरखपुर	8. पूर्वोसीरे/मालीगांव/	9. उपरे/जयपुर
10. दरे/चेन्नै	11. दमरे/सिकंदरबाद	12. दपूरे/कोलकाता
13. दपूमरे/बिलासपुर	14. दपरे/हुब्बली	15. परे/मुंबई
16. पमरे/जबलपुर	17. मेट्रो/कोलकाता	18. सीएलडब्ल्यू/चित्तरंजन
19. बीएलडब्ल्यू/वाराणसी	20. पीएलडब्ल्यू/पटियाला	21. आईसीएफ/चेन्नै
22. आरसीएफ/कपूरथला	23. एमसीएफ/रायबरेली	24. आरई/प्रयागराज
25. आरडब्ल्यूएफ/बेंगलुरु	26. आरडब्ल्यूपी/बेला	27.कोफमो/नई दिल्ली
28. एमटीपी/चेन्नै		

विषय: मार्च 2023 के लिए तथा अंत तक के प्रारंभिक चालू लेखा प्रस्तुत करना।

महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के वार्षिक लेखों को प्रस्तुत करने की समय अनुसूची जारी की है। तदनुसार, कृपया मार्च 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे के साथ सभी अनुसूचियों और विवरणों को पैरा 343 ए-I के अनुसार, श्री संजीव विग, एसएओ/एसी-I, कमरा नंबर 564 (हॉल), रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001 के पते पर एक लिफाफे में 14.04.2023 तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाए।

2. निम्नलिखित विवरणों (क, ख, ग) को एक साथ सूचित किया जाए:-

क. प्रत्येक शीर्ष अर्थात यात्री, अन्य कोचिंग, माल, फुटकर और उचंत द्वारा सकल यातायात प्राप्तियां (मांग वसूली योग्य सहित)

ख. प्रत्येक अनुदान द्वारा संचालन व्यय सकल, शुद्ध और क्रेडिट; तथा

ग. योजना शीर्षों और वित्तपोषण के प्रत्येक स्रोत द्वारा संचालन व्यय अर्थात् पूंजी, पूंजी निधि, डीआरएफ, डीएफ, आरएसएफ, आरआरएसके, ईबीआर-बीओ, ईबीआर-आईएफ और ईबीआर-स्पेशल के साथ-साथ अनुलग्नक ए और प्रत्येक योजना शीर्ष के तहत क्रेडिट और वसूली का विवरण

3. यदि, मार्च, 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के अंतिम समापन विवरण समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रारंभिक चालू लेखा को आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और जो आपके कार्यालय के पास उपलब्ध है जैसे डेबिट स्क्रॉल, क्रेडिट स्क्रॉल और मार्च, 2023 के लिए आरबीआई, सीएएस, नागपुर द्वारा जारी क्लीयरेंस की सूचना जो उस चरण में प्राप्त की गई हो और समय पर बोर्ड कार्यालय को भेजी गई हो, के आधार पर संकलित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से उक्त विवरणों के प्राप्त होने पर आवश्यक पाए गए प्रारंभिक चालू खाते में परिमाण के परिवर्तन को भी प्राप्त होने पर तुरंत सूचित किया जाए।

4. प्रारंभिक लेखा सामान्य तरीके से ही बनाया जाए, जिस तरह एकल चालू खाता बनाया जाता है। समायोजन लेन-देन अग्रेनीत किया जाए और ई-समाधान अनुसूची के अनुसार आईपीएएस पर दर्ज किए जाए।

5. सीजीए द्वारा प्रारंभिक लेखे के लिए केवल एक शुद्धि पर्ची की अनुमति दी जाएगी। इसकी समय अनुसूची अलग से सूचित की जाएगी।

6. मार्च, 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे के संकलन के समय कृपया निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए:-

i) <u>डीआरएफ, पेंशन निधि के लिए विनियोग प्रदर्शित करना</u>

राजस्व से डीआरएफ और पेंशन निधि के लिए विनियोग को प्रारंभिक चालू लेखे में आरई के अनुसार उपयुक्त शीर्ष के अंतर्गत अलग-अलग मदों के रूप में दिखाया जाए। इसी प्रकार, विविध स्थापनाओं के तहत प्रभार्य पेंशन निधि के लिए विनियोग और लेखा परीक्षा और अंशदायी भविष्य निधि से पेंशन निधि में अंतरण, अगर कोई हो, को भी उपयुक्त लेखा शीर्ष के तहत स्पष्ट रूप से दिखाया जाए।

ii. <u>नकद शेष</u>

31.3.2023 की स्थिति के अनुसार समापन नकद शेष मार्च 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे में अंगीकृत किए जाने वाले वास्तविक नकद शेष पर आधारित होगा और मार्च 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखे और वास्तविक राजस्व/वर्तमान पूंजी लेखे का संकलन होने तक रेलवे/इकाइयों पर उपलब्ध होगा। सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों को अपनी रोकड़ बही को 5 अप्रैल 2023 तक बंद करना होगा। रेलवे को रोकड़ बही के समापन से पहले ट्रांसिट (सीआईटी) में "शून्य" नकद राशि सुनिश्चित करनी होगी। तदनुसार वाणिज्यिक विभाग के परामर्श से आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

iii. <u>उठाए जाने वाले कदम</u>

क. 5 अप्रैल 2023 तक रोकड़ बही बंद की जाए।

ख. चालू लेखों को क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के लिए आईपीएएस में उपलब्ध डेटा के आधार पर 12 अप्रैल, 2023 को प्रस्तुत किया जाए।

ग. चालू लेखे में भंडार मासिक सारांश का निपटान 5 अप्रैल, 2023 तक किया जाएगा।

घ. समायोजन/अंतरण लेन-देन को नीचे दी गई ई-समाधान समय अनुसूची के भीतर निपटाया जाए। हालांकि अधिकतम संभव अंतरण लेनदेन और जेवी की तैयारी पिछले सप्ताह के लिए बैकलॉग रखने के बजाय दैनिक रूप से की जाए।

iv. मार्च 2023 के प्रारंभिक चालू लेखे के लिए ई-समाधान समय अनुसूची

मद	अंतिम तिथि	अंतिम समय
नकद लेन-देन अपलोड करना	05-04-2023	16:00 बजे
जावक टीसी जेनरेट करना	05-04-2023	16:00 बजे
मसौदे से अनुमोदन के लिए टीसी भेजना	05-04-2023	16:00 बजे
रेलवे द्वारा बल्क ऑर्डर टीसी जेनरेट करना	04-04-2023	16:00 बजे
जावक टीसी अनुमोदित करना	05-04-2023	16:00 बजे
आवक टीसी स्वीकार करना	05-04-2023	19:00 बजे
टीसी वितरण	05-04-2023	19:00 बजे
आवक टीसी लौटाना	05-04-2023	19:00 बजे
रेफ़री को भेजना	05-04-2023	20:00 बजे
बीओ शाखा/आरबी और पीएओ/आरबी द्वारा बल्क ऑर्डर टीसी	07-04-2023	18:00 बजे
जेवी जेनरेट करना	08-04-2023	18:00 बजे

<u>नोट 1:</u> बल्क ऑर्डर टीसी के लिए रेलवे बोर्ड की बल्क ऑर्डर ब्रांच का निर्णय अंतिम होगा और रेफरी को रेलवे बोर्ड द्वारा उठाए गए बल्क ऑर्डर टीसी के तहत का कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
<u>नोट 2:</u> उपरोक्त समय अनुसूची के बाद किसी भी अंतर रेलवे लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

v. डब्लूजीआर और डब्लूएमएस के लेन-देन को 4 अप्रैल 2023 तक संकलित किया जाए ताकि इसे चालू लेखे में शामिल किया जा सके।
vi. आय के लिए डेटा को वर्तमान में अनुमानित लेखे के रूप में लिया जाएगा। क्रिस 4 अप्रैल 2023 तक माल (बुक किए गए और अग्रेनीत आधार पर) के लिए आय मैट्रिक्स जेनरेट करेगा और मार्च लेखों में समायोजन के लिए 5 अप्रैल 2023 को अग्रेनीत आधार फाइनल होगा।
vii. क्रिस द्वारा पीआरएस और यूटीएस का विनियोजन मैट्रिक्स 4 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध कराया जाएगा।
viii. तुलन-पत्रों को भारतीय रेल लेखा विभाग संहिता वाल.II के अध्याय 27 में प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।
ix. प्रारंभिक चालू लेखा सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा 12 अप्रैल 2023 तक आईपीएएस में अपलोड किया जाए।
x. क्रिस 12 अप्रैल 2023 को क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के लेखों को एकत्रित करके रेलवे बोर्ड के लिए एक चालू लेखा सृजित करेगा।
xi. मार्च/23 लेखे में बाद के समायोजन लेनदेन को एक शुद्धि पर्ची के माध्यम से अग्रेनीत किया जाएगा जिसके लिए आईपीएएस उचित चरणों में जेवी के समायोजन को अपलोड करने में सक्षम होगा।

xii. इसके अलावा, मार्च 2023 (पूंजी और राजस्व) के लिए प्रारंभिक वित्तीय समीक्षा को पर 12 अप्रैल 2023 को अग्रेषित किया जाए।

7. आईपीएएस मॉड्यूल में मार्च 2023 के लिए प्रारंभिक चालू लेखा अपलोड करने के बाद, इसे सभी अनुसूची और विवरणों के साथ श्री संजीव विग, एसएओ/ एसी-I, कमरा नंबर 564 (हॉल), रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली -110001 को स्पीड पोस्ट द्वारा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाए ताकि पारगमन में देरी से बचा जा सके।

नोट: लोक लेखा में रखी गई ब्याज वहन करने वाली निधियों (डीआरएफ, डीएफ, सीएफ, पेंशन निधि और डीएसएफ) पर प्रति वर्ष 3.35% (अनंतिम) की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

कृपया पावती दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

(प्रतिमा त्रिपाठी)
निदेशक वित्त (लेखा)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए
2. लेखा- IV(बीओ) अनुभाग, रेलवे बोर्ड को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए।
3. महानिदेशक (रेलवे बोर्ड ऑडिट), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली- 110001
4. महाप्रबंधक/वित्त, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।